न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

निगरानी संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
13/01/2016	25–02–2016	16–05–2018

01. मुकेश कुमार पुत्र भगवान जाति माली निवासी लक्ष्मणगढ जिला अलवर

निगरानीकार

बनाम

01.ग्राम पंचायत लक्ष्मणगढ जर्ये सरपंच ग्राम पंचायत लक्ष्मणगढ जिला अलवर

02.अध्यक्ष सैनी समाज विकास समिति लक्ष्मणगढ जिला अलवर

अनिगरानीकार

निगरानी विरूद्ध पट्टा संख्या 39 दिनांक 04.10.2009 पत्रावली संख्या 392 ग्राम पंचायत लक्ष्मणगढ का निर्णय दिनांक 20.05.2009

उपस्थितः–

01.श्री उमाशंकर खंडेलवाल –वकील निगरानीकार

02 श्री अमर चंद चौधरी –वकील अनिगरानीकार नं0 2

––:: निर्णय ::––

निगरानीकार ने यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत लक्ष्मणगढ के आदेश दिनांक 20–05–2009 जिसके द्वारा अनिगरानीकार को ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा संख्या–39 दिनांक 04–10–2009' जारी किया गया से व्यथित होकर पेश की है।

निगरानी प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अनिगरानीकार को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील निगरानीकार ने अपनी बहस में निगरानी प्रा0पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि निगरानीकार की मिल्कियत का प्लॉट 45' बाई 47' व दूसरा प्लॉट 20' बाई 47' वाके मौहल्ला पीपलवाला कस्बा लक्ष्मणगढ में स्थित है जिस प्लॉट 45' बाई 47' का पट्टा नियमानुसार ग्राम पंचायत लक्ष्मणगढ ने कोठयारी पुत्र खैराती माली के नाम पट्टा संख्या 89 जारी हुआ है तथा प्लॉट 20' बाई 47' बाबत् दिनांक 10.06.1991 को ग्राम पंचायत लक्ष्मणगढ में 940रू जमा कराने पर खूँटी, प्रभाती पुत्रान कोठयारी माली लक्ष्मणगढ के नाम पट्टा जारी किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। खूँटी माली द्वारा 07.08.1991 को 940रू जमा करा दिये गये। इसके उपरान्त गैरनिगरानीाकार संख्या 01 ने निगरानीकार की पट्टेशुदा भूमि में से कुछ भूमि का एवं शेष गैरमुमकिन तलाई की जमीन का पट्टा अवैध तरीके से खिलाफ कानून पट्टा संख्या 39 दिनांक 20.05.2009 के तहत जारी कर दिया। गैरनिगरानीकार संख्या 02 द्वारा प्रार्थी के कब्जे के भूखण्ड की जमीन पर दिनांक 04.01.2016 को नाजायज कब्जा करना चाहा तो प्रार्थी द्वारा उन्हें रोका गया परन्तु अनिगरानीकार

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

संख्या 02 नहीं मानी और 06' बाई 15' तक जमीन गैरनिगरानीकार ने नाजायज कब्जा कर डण्डा बना लिया और जाहिर किया कि इस जमीन का पट्टा ग्राम पंचायत लक्ष्मणगढ द्वारा हमें मिल गया है यह जमीन हमारी है, तो प्रार्थी ने दिनांक 05.01.2016 को सूचना के अधिकार के तहत पट्टा व निर्णय की नकल हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया तो दिनांक 12.02.2016 को पट्टा व निर्णय की नकल प्राप्त हुई। ग्राम पंचायत के निर्णय व पट्टे की जानकारी प्रार्थी को दिनांक 04.01.2016 को हुई जिसकी नकल प्रार्थी को दिनांक 12.02.2016 को प्राप्त हुई। नकल प्राप्त होने पर जानकारी होने से बिना किसी विलम्ब से निगरानी पेश की गयी। निगरानी के लिये समय सीमा बाधित नहीं है, फिर भी देरी को कंडोन करने हेतु अलग से दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। ग्राम पंचायत लक्ष्मणगढ के यहॉ गैरनिगरानीकार संख्या 02 ने गलत तरीके से कब्जेशुदा भूमि का पट्टा जारी किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जबकि गैरनिगरानीकार का भूमि पर कब्जा नहीं था। ग्राम पंचायत ने जिन पंचों को मौका रिपोर्ट हेतु नियुक्त किया उन्होंने कोई मौका रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की, अन्य पंचों द्वारा मौका रिपोर्ट बनाई गयी। ग्राम पंचायत की पत्रावली में दिनांक 05.01.2008 की आर्डरशीट के मुताबिक पत्रावली निर्णय के लिये रखी गयी है उसके बाद करीब 16 माह बाद बिना कोई कार्यवाही के दिनांक 20.05.2009 को निर्णय कर दिया गया। निर्णय दिनांक 20.05.2009 में दूसरा पैरा की चौथी व पांचवी लाइन में काटा–फॉसी करके निर्णय में फेरबदल करके मिथ्या दस्तावेज (निर्णय) तैयार किया है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत लक्ष्मणगढ का निर्णय दिनांक 20.05.2009 बाबत् पट्टा संख्या 39 दिनांक 04.10.2009 पत्रावली संख्या 392 अपास्त फरमाई जावे। निगरानीकार द्वारा निगरानी के समर्थन में संबंधित ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के विरूद्ध चल रही जांच की फोटोप्रतियां पेश की है।

अपील अनिगरानीकार नं0 2 ने निवेदन किया कि ग्राम पंचायत लक्ष्मणगढ द्वारा दिया गया पट्टा विधि संमत है। गैरनिगरानीकार के प्रार्थना–पत्र पर नियमानुसार मौका रिपोर्ट, उज्रदारी नोटिस जारी कर पट्टा दिया गया है। उक्त विवादित आराजी पर पूर्व से ही सैनी समाज का कब्जा रहा है। निगरानीकार ने उक्त निगरानी बिना किसी आधार पर पेश की है। अतः निगरानीकार की निगरानी खारिज फरमायी जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 20.05.2009 के विरूद्ध दिनांक 25.02.2016 को पेश किया। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है। ग्राम पंचायत की मूल पत्रावली में विवादित स्थान पर कोई पुराना गृह बने होने का साक्ष्य नहीं है। भूमि पर कब्जा बताकर नियम 157 के तहत पट्टा दिया जाना नियमानुसार गलत है। नियम 157 में पुराने गृहों को विनियमितिकरण का पट्टा जारी करने का प्रावधान है तथा गृहों के 50 वर्ष पूर्व के बने होने पर रू0 200/– फीस वसूल कर पट्टा दिये जाने का प्रावधान है, जबकि ग्राम पंचायत द्वारा रू0 10833/– वसूल किये है। खाली जगह का पट्टा नियम 157 की आड में दिया जाना गलत है। नियमों में खाली जमीन का पट्टा निलामी के जरिये दिये जाने का प्रावधान है। मूल पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली में अंतिम आदेशिका 05.01.2008 के बाद निर्णय दिनांक 20.05.2009 को किया गया है। उक्त अवधि में कोई कार्यवाही नहीं की गयी। मौका रिपोर्ट हेतु टीम नियुक्त करने का कोई पत्र पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। आदेशिका दिनांक 05.11.2007 के अनुसार मौका रिपोर्ट हेतु जो 3 पंच नियुक्त किये गये थे, उनमें से 1 पंच के ही

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

हस्ताक्षर मौका रिपोर्ट पर है। पत्रावली में संलग्न नक्शे पर किसी के हस्ताक्षर नहीं है, तथा नक्शे में भी काट–छाट की गयी है। ग्राम पचायत के निर्णय दिनांक 20.05.2009 में भी काट–छाट की गई है। अतः ग्राम पंचायत लक्ष्मणगढ के आदेश दिनांक 20.05.2009 निरस्त किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर ग्राम पंचायत लक्ष्मणगढ के आदेश दिनांक 20–05–2009 निरस्त किया जाता है। निगरानीकार की निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय प्रति अधिनस्थ अदालत को मय रिकॉर्ड भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16–05–2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रथम) अलवर –राज0